



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट- थाना राजेपुर

दिनांक :- 18.08.2024

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 36/24 धारा 363/366 भा0द0वि0 से
सम्बन्धित अभियुक्त अश्वनी आनन्द पुत्र राकेश आनन्द को किया गया
गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्रनाथ राय के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 36/24 धारा 363/366 भादवि0 से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त अश्वनी आनन्द पुत्र राकेश आनन्द निवासी खोरा गांव थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- अश्वनी आनन्द पुत्र राकेश आनन्द निवासी खोरा गांव थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद।

घटना का विवरण - दिनांक 04.05.24 को वादी श्री श्रीकृष्ण पुत्र मिठूलाल निवासी ग्राम राजेपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ की पुत्री को अभियुक्त अश्वनी आनन्द उपरोक्त के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजेपुर पर मु0अ0स0 36/24 धारा 363/366 भादवि0 बनाम अश्वनी उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में अपहर्ता को बरामद कर दिनांक 18.08.24 को अभियुक्त अश्वनी आनन्द उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1- मु0अ0स0 36/24 धारा 363/366 भा0द0स0 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार
2. का0 रविराज।

मीडिया सेल फतेहगढ़



